24-1-24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह तामिल नोटिस भेजने के उपरान्त हाजिर नहीं आये। आज सरे इजलास रूकरूक आवाजे लगाई गई जिसपर अप्रार्थी वकालतन या असालतन हाजर नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष अप्रार्थीगण का रास्ता स्वीकृत करने बाबत् सहमतिपत्र पत्रावली में शामिल है। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक/तखा/खाजू/रीडर/23/04 दिनांक 01.01.24 अनुसार चक 32 केवाईडी मु0नं0 199/35 के किला नं0 15 ता 20, 20/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25 की 8.18 बीघा अ0क0 भूमि गमदूरसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख व महेन्द्र पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख ब0हि0ब0 के नाम दर्ज है। प्रार्थी को रिकॉर्ड अनुसार कोई रास्ता नहीं लगता है। इसी मु0नं0 199/35 के किला नं0 1 ता 14 की 14.00 बीघा अ0क0 आरती, गंगा, नितू उर्फ नत्थी, पुजा, प्रभूराम, बजरंगलाल, मधू पिसरान सन्तोष जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर तहःजिला बीकानेर ब0हि0ब0 के नाम दर्ज है। मौके पर मु0नं0 199/34 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू है। मु0नं0 199/35 किला नं0 21 में गैरमुमकिन नहर कटान है। चक 32 केवाईडी ए के काश्तकारों को सिसाडा जाने के लिए सीधा रास्ता मु0नं0 199/35 1,10, 11, 20, 21 में ही लगता है जो कि प्रस्तावित रास्ता है। मु0नं0 199/35 में मौजूद काश्तकारों की सहमतिपत्र संलग्न है। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला का अध्ययन अवलोकन व मनन किया गया। स्थायी सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि "राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान**	

24-1-24	भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा। यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू–अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 32 केवाईडी ए के मु0नं0 199/35 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	